

**फर्द अहकाम**

**नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी**

ज.अ.दो.क।

बनाम

नरेश व अ-य

प्रकरण संख्या 56/20

सा.फा धारा - 212 R.T.A

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/3/22	<p>पनावली आज पैरा 22 व फाईल प्रार्थी उपस्थित। इस प्रार्थना पर से संबंधित खलवादी आदेश 3 सिगम 5 सी.जी.सी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः खलवादी के खारिज हो जाने से इस पनावली को आगे चलाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। लिखित इस पनावली को आदेश 3 सिगम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पनावली फाईल धुमाट होकर 6 अप्रैल नम्बर से कम होने पर वापिस फटाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28/3/22 को स्थली न्यायालय एवं सैर इजलास सुनाया गया।</p>	

26  
उप खण्ड अधिकारी  
बस्सी (जिला जयपुर)